राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.4(1)(3)/नपा/रानिआ/2014/8128 दिनांकः 17/11/14

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर),
अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू,
हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जयपुर, झुंझुनूं, जोधपुर, कोटा, नागौर,
पाली, राजसमंद, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर।

विषयः– 46 नगर निकायों के आम चुनाव नवम्बर, 2014 – मतदाता सहायक केन्द्र (Voter Assistence Booth) के संबंध में।
संदर्भः– आयोग का पत्रांक 5192 दिनांक 15.11.2009

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र जो कि नगरपालिका चुनावों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन, 2014 पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 101 पर उपलब्ध हैं, के माध्यम से आयोग द्वारा नगर निगम एवं नगरपरिषद चुनावों में मतदाताओं को अपने संबंधित सही मतदान केन्द्र तक जाने के लिए मार्गदर्शन हेतु प्रत्येक मतदान भवन पर **मतदाता सहायक केन्द्र (Voter Assistence Booth)** स्थापित करने के निर्देश प्रदान किए हुए हैं। (प्रति संलग्न)

आगामी नगर निकाय आम चुनाव हेतु मतदान दिनांक 22.11.2014 को होना हैं। अतः इन आम चुनाव में भी संदर्भित आदेश के अनुसार प्रत्येक मतदान भवन पर **मतदाता सहायक केन्द्र (Voter Assistence Booth)** स्थापना एवं इन केन्द्रों पर पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) स्तर के कार्मिकों को नियुक्त समय से करना सुनिश्चित करें। इन केन्द्रों पर नियुक्त कार्मिकों को यह भी निर्देशित करें कि यदि किसी मतदाता को अपने भाग संख्या एवं क्रमांक की जानकारी नहीं है तो उनके पास उपलब्ध मतदाता सूची से मतदाता को उसका विवरण सफेद कागज की पर्ची पर लिखकर दे दिया जाए।

(सत्यप्रकाश बसवाला) 17/11/14
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(45)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर: 302005

क्रमांकः– प 4(2)(1) नपा/रानिआ/03/5192 दिनांकः–15.11.2009

जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर,चूरू, झुंझुनू,
सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, अजमेर, कोटा,
उदयपुर, पाली, एवं जोधपुर ।

विषयः– नगरपालिका निर्वाचन–2009–मतदाता सहायता केन्द्र (Voter Assistence Booth) की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका चुनाव होने जा रहे है। विशेषकर नगर निगम एवं नगर परिषद् क्षेत्रों में मतदान भवन घनी आबादी में स्थित होते हैं। जिससे इस बात की पूरी संभावना रहती है कि एक ही मतदान भवन पर एक से अधिक मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई हो। परिसीमन के कारण वार्डो में परिवर्तन हुआ है और मतदान केन्द्र भी परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसे में इन मतदान भवनो पर मतदाताओं की भीड–भाड होने एवं असमंजस के कारण मतदाताओं कों अपने संबंधित मतदान केन्द्र तक पहुँचने में कठिनाई का सामना करना पड सकता है, एवं मतदाता अपने मताधिकार से वंचित रह सकते है। मतदाता के पास मतदान केन्द्र की जानकारी पूरी न होने से मतदान केन्द्र में मतदान दल से भी पूछताछ करने की स्थिति मे मतदान प्रक्रिया में व्यवधान आ सकता है।

अतः मतदाताओं को अपने संबंधित सही मतदान केन्द्र तक जानें के लिए मार्गदर्शन करने हेतु प्रत्येक मतदान भवन पर "मतदाता सहायता केन्द्र" (Voter Assistence Booth) स्थापित किये जावे। इन केन्द्रो पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) स्तर के कार्मिकों को नियुक्त किया जाये। प्रत्येक मतदाता सहायता केन्द्र पर उपस्थित कार्मिकों के पास मतदाता सूची रहेगी जिससे वे मतदाताओं को उस भवन के सही मतदाता केन्द्र पर जाने और उनके मतदाता क्रमांक बताने में सहायता करेंगें। जिन मतदान भवनों पर पांच तक मतदान केन्द्र है वहां दो सहायक तथा जिन भवनों में पांच से अधिक मतदान केन्द्र है वहां स्थानीय स्तर पर निर्णय लेकर सहायक लगाये जावें।

मतदाता सहायता केन्द्र पर पदस्थापित कार्मिकों के मोबाईल फोन नम्बर भी संकलित कर लिये जाये ताकि मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर गतिविधियों की जानकारी उनके माध्यम से ली जा सके। प्रत्येक मतदाता सहायता केन्द्र पर टेबल, कुर्सी एवं आवश्यकतानुसार छाया की व्यवस्था भी की जावे।

उपरोक्तानुसार व्यवस्था नगर निगमों एवम् नगर परिषद चुनावों में की जावे।

–ह0–
(आर.के. जैन)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर।